

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।  
पत्रांक 1551 /14-1, बरेली, दिनांक, 27 अक्टूबर, 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- जनपद बरेली में रामपुर-बरेली मार्ग एन.एच- 24 किमी 214-250 एवं दूरभाष केन्द्र चौपला बरेली तक की वायी पटरी में ओएफसी लाईन बिछाये जाने हेतु 1.080 हे० संरक्षित वन भूमि एवं शून्य वाधक वृक्षों के पातन की अनुमति संबंधी प्रस्ताव।

संदर्भ:- Online Proposal No. FP/UP/Others/23650/2017,

महोदय,

डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स, भारत संचार निगम लि०, मुरादाबाद द्वारा जनपद बरेली में रामपुर-बरेली मार्ग N.H- 24 किमी 214-250 एवं दूरभाष केन्द्र चौपला बरेली तक की वायी पटरी में ओएफसी लाईन बिछाये जाने हेतु 1.080 हे० संरक्षित वन भूमि एवं शून्य वाधक वृक्षों के पातन की अनुमति संबंधी प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत 1.080 हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं शून्य वाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव 04 प्रतिियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सहमति सहित प्रेषित किया जा रहा है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार नूनि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवशील,

( भारत लाल )

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

पत्रांक /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
02. डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स, भारत संचार निगम लि०, डी-13/15 देवबिहार कालोनी, मुरादाबाद।

( भारत लाल )

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।